न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 77 / 2017 तारीख रजू:– 27.9.2017

1 हरसी पुत्र रामधन जाति मीना निवासी एदलपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली :– अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1 उपतहसीलदार उपतहसील बालघाट जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्ध आदेश</u> अदालत उपतहसीलदार बालघाट व मुकदमा उनवानी सरकार

मे कभी भी अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार बालघाट तहसील टोडाभीम जिला करौली का निर्णय दिनांक 30.8.2017 के तहत अपीलान्ट हरसी पुत्र रामधन जाति मीना निवासी ऐदलपुर को दी गई 90 दिवास की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त के साथ माफ किया जाता है कि यदि अपीलान्ट एक माह के अन्दर अडरट्रेकिंग पेश कर देता है और अपीलान्ट प्रशनगत आराजी से अपना अतिचार हटा लेता है ओर भविष्य मे किसी प्रकार का अतिचार नही करेगा। इस बात से तहसीलदार सन्तुष्ट हो जाते है तो सिविल कारावाश की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। वेदखली एवं शास्ती से सम्बंधित आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली